

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज.)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज
------------	------------------------------

7.10.25

प्राथमिक अधिकारियों के शीघ्र सुनवाई प्र.पत्र पर पत्रावली आज तारीख प्रथी में तबल की गयी। पत्रावली का अन्वेषण किया तथा पाया कि अप्राथमिक 1 खण्डगत प्रकी नाकिली संलग्न है। खालपुट सूचना अनुपस्थित रहने से 543 विरुद्ध सम्पत्ति अधिकारी की चाली है। लकीर प्राथमिक द्वारा बख्त में निवेदन किया कि प्र.पत्र की प्रक. सं. 2 में बाणेश भूमि जो कि प्रथी सं. 1 की खातेदारी में दर्ज है, पर अप्राथमिक को इस आशय की अन्वेषी निष्पत्ति से पाला किया जाते कि वह उक्त भूमि का रक्षक, बेचन या अन्य प्रकार से सेटल नही करे, ना कि उक्त भूमि पर कब्जा करे।

इसमें प्र.पत्र, प्राथमिक प्र.पत्र, रिपोर्ट संलग्न का तथा बख्त पर मतन /अन्वेषण किया। बाणेश भूमि दुल्ही का है। प्रथम दृष्टया केवल अन्वेषण सेटलन एवं अन्वेषण के प्राथमिक प्र.पत्र में प्रतीत होती है कि ग्राम अरनेठा की भूमि ख.नं. 457 रकबा 1.5695 हे.ए. ख.नं. 458 रकबा 0.0809 हे. तथा ख.नं. 459 रकबा 0.2670 हे.ए. की अन्वेषण मुलगाड संख्या 09/419/25 के निरन्तरण लड बनाये रखने के अतिरिक्त दिए जाते हैं। पत्रावली मुलगाड के साथ संलग्न कर फैसल शुमार होय नगवर लि अम होय संलग्न दफ्तर है।